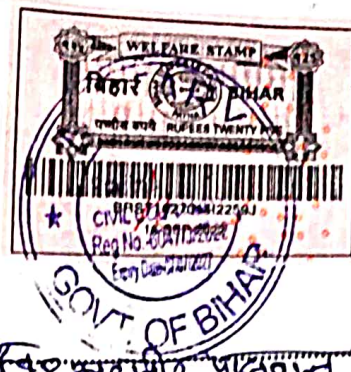


21 SEP 2022

Dated.....

Book No.....S.No. 47

प्रपत्र-ख
शपथ-पत्र



मैं, तारकेश्वर पासवान पिता/पति वि. महावीर पासवान

उम्र 51 वर्ष, *नगर निगम/*नगर परिषद/*नगर पंचायत मुजफ्फरपुर के वार्ड संख्या 26.

मोहल्ला नया रोला, पोस्ट प्र. 5/1, थाना काजीमोहम्मदपुर जिला मुजफ्फरपुर

बिहार का निवासी हूँ, तथा शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ:-

कि मैं अपना नाम निर्देशन पत्र *नगर निगम/*नगर परिषद/*नगर पंचायत मुजफ्फरपुर के वार्ड संख्या 26 के *पार्षद/*उप मुख्य पार्षद/*मुख्य पार्षद पद के निर्वाचन हेतु दाखिल कर रहा/रही हूँ;

कि मैं बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 18 के उपबन्धों से पूर्णतः अवगत हूँ;

कि मैं बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 18 के तहत *नगर निगम/*नगर परिषद/*नगर पंचायत मुजफ्फरपुर के वार्ड 26 के *पार्षद/*उप मुख्य पार्षद/*मुख्य पार्षद पद के निर्वाचन के लिए अथवा निर्वाचन के बाद अपने पद पर बने रहने के लिए अनर्हित नहीं हूँ;

कि संलग्न अनुसूचित में मेरे द्वारा अंकित की गई सूचनाएँ मेरे विश्वास एवं जानकारी में सही और सत्य हैं।

1. गवाह का पूर्ण हस्ताक्षर - तारकेश्वर पासवान
नाम- तारकेश्वर पासवान पिता- वि. महावीर पासवान
पता- नया रोला, प्रीकट रोड
जिला- काजीमोहम्मदपुर जिला- मुजफ्फरपुर

तारकेश्वर पासवान
अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

2. गवाह का पूर्ण हस्ताक्षर इंद्राकर पासवान
नाम- इंद्राकर पासवान पिता- श्रीचन पासवान
पता- नया रोला, प्रीकट रोड
जिला- काजीमोहम्मदपुर जिला- मुजफ्फरपुर

स्थान : मुजफ्फरपुर

लगातार

दिनांक : 21/09/22

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

नोट : कार्यपालक दण्डाधिकारी/नोटरी पब्लिक/ओथ कमिशनर के समक्ष शपथ ली जाएगी।

The Deponent Identified
by Advocate has Solemnly
affirmed declared before me

Pratibha Kumari
Pratibha Kumari
Civil Court, Muzaffarpur
Notary Regd. 6047/22

21/9/22

Authorised u/s 8 (1) of the
Notaries (Act L III of 1952 &
Under rule of the Notaries
Act 1956)

नगरपालिका आम निर्वाचन, 2022 के अवसर पर प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा
शपथ-पत्र के साथ दी जाने वाली सूचनाओं का प्रपत्र

मुलफ्फापुर जिला के *नगर निगम/*नगर परिषद/*नगर पंचायत मुलफ्फापुर
के वार्ड संख्या 26 से *पार्षद/*उप मुख्य पार्षद/*मुख्य पार्षद पद का निर्वाचन।

अभ्यर्थी का नाम- तारकेश्वर पासवान

पिता/मति का नाम- स्व. महावीर पासवान

1. क्या आप देश के भीतर या बाहर किसी न्यायालय द्वारा कभी कारावास या अर्थदण्ड से दंडित किये गये हैं- नहीं

(क) यदि हाँ, तो निम्न विवरण अंकित करें:-

(i) न्यायालय का नाम जिसके द्वारा दंडित किये गये- नहीं

(ii) दंडित किये जाने की तिथि एवं वाद संख्या- नहीं

(iii) किये गये अपराध की प्रकृति-
(अधिनियम एवं धाराओं का विवरण सहित) नहीं

(iv) दिया गया दण्ड- नहीं

(v) काराधीन रहने की अवधि, यदि कोई हो- नहीं

(vi) कारावास से मुक्त होने की तिथि- नहीं

(ख) उपरोक्त दण्डादेश के विरुद्ध कोई अपील/पुनर्विचार का आवेदन दायर किया गया है या नहीं? नहीं

(i) अपील संख्या/पुनर्विचार आवेदन पत्र, यदि कोई हो, का विवरण- नहीं

(ii) न्यायालय का नाम जिसके समक्ष अपील/पुनर्विचार आवेदन पत्र दायर किया गया- नहीं

(iii) क्या दायर अपील/पुनर्विचार आवेदन पत्र निष्पादित हो चुका है अथवा लंबित है- नहीं

(iv) यदि निष्पादित है, तो

(क) निष्पादन की तिथि- नहीं

(ख) पारित आदेश का संक्षिप्त विवरण- नहीं

(v) क्या अपील/पुनर्विचार आवेदन पत्र के विचारण के दौरान कोई जमानत दिया गया- नहीं

(vi) यदि हाँ, तो जमानत पर मुक्त रहने की अवधि- नहीं

(ग) क्या आप किसी न्यायालय में किसी अपराध में दोषमुक्त (acquittal) या उन्मोचित (discharge)

किये गये हैं, यदि हाँ तो निम्न विवरण दें- नहीं

(i) न्यायालय जिसके द्वारा दोषमुक्त किये गये हों- नहीं

(ii) आरोप की प्रकृति एवं वाद संख्या- नहीं

क्या आप नामांकन दाखिल करने की तिथि के छः माह पूर्व देश के भीतर या बाहर कैसे किसी लंबित मामले में आरोपित हैं और उसमें आरोप तैयार कर लिया गया है अथवा सक्षम विधि न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है, जिसमें छः माह से ज्यादा की सजा हो सकती है? यदि हाँ, तो निम्न विवरण दें:- *अन्य*

- (i) अधिनियम की धारा और अभियोग का विवरण जिसके लिये आरोपित है। संज्ञान लिया गया है- *नहीं*
- (ii) न्यायालय जिसने आरोप तैयार किया है/संज्ञान लिया है- *अन्य*
- (iii) अपराध संख्या *9504*
- (iv) आरोप तैयार करने/संज्ञान लेने का न्यायालय के आदेश का दिनांक- *अन्य*
- (v) उपर्युक्त आरोप तैयार करने/संज्ञान लेने के विरुद्ध अपील (अपीलों)/पुनर्विलोकन का प्रार्थना पत्र (पत्रों) यदि कोई हो तो उसका विवरण- *अन्य*

3. क्या आपके विरुद्ध उक्त कौडिका (2) में वर्णित मामले से भिन्न किसी अन्य मामले में देश के भीतर या बाहर किसी न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है? यदि हाँ, तो निम्न विवरण दें-

- (i) अधिनियम की धारा और अभियोग का विवरण जिसके लिये आरोपित है/ संज्ञान लिया गया है- *(1) नहीं*
- (ii) न्यायालय जिसने आरोप तैयार किया है/संज्ञान लिया है- *K.P. 85/01*
- (iii) अपराध संख्या- *U/S 392, 120 बी.ए.डी. संज्ञान-1718/01*
- (iv) आरोप तैयार करने/संज्ञान लेने का न्यायालय के आदेश का दिनांक- *(2) संज्ञान-68/2013*
- (v) उपर्युक्त आरोप तैयार करने/संज्ञान लेने के विरुद्ध अपील (अपीलों)/पुनर्विलोकन का प्रार्थना पत्र (पत्रों) यदि कोई हो तो उसका विवरण- *U/S 279, 304-डी संज्ञान-2917/2013*

4. यदि कोई निर्वाचन संबंधित अपराध लंबित हो, तो पूर्ण विवरण- *नहीं*

5. अपनी परिसम्पत्ति अपने पति/पत्नी एवं आश्रितों सहित का विवरण निम्नवत है:-

(क) अचल सम्पत्ति:-

(i) कृषि भूमि :- *नहीं*

(ii) शहरी भूमि- *हैं 10 प्लॉट (पान्थ पाला)*

(iii) भवन- *1*

उपरोक्त की स्थिति, माप तथा वर्तमान बाजार मूल्य दिया जाए। *10,00,000/-* *श्री लाल लाल*

(ख) चल सम्पत्ति तथा उनकी वर्तमान कीमत:-

(i) नकद - 20,000

(ii) बैंक बैलेन्स- 2000/-

(बैंक का प्रिन्टआउट संलग्न करें।)

(iii) फिक्स डिपोजिट (नहीं) शून्य

(प्रमाण-पत्र की छायाप्रति संलग्न करें।)

(iv) बॉण्ड, शेयर- (नहीं) शून्य

(इसके प्रमाण की छायाप्रति संलग्न करें)

(v) वाहन (नहीं) शून्य

(निबंधन की छाया प्रति जिसका परिवहन पदाधिकारी की मुहर के साथ संलग्न करें)

(vi) आभूषणों का विवरण 508 सोने का आभूषण
(पूर्ण विवरण दें) एवं चाँदी 500 ग्राम आभूषण

6. ** (क) अपने पति/पत्नी एवं आश्रितों सहित के दायित्वों/
वित्तीय संस्थाओं के बकायों का पूर्ण विवरण दिए जाएँ
(प्रमाण-पत्रों के साथ)

(नहीं) शून्य

(ख) अगर के.सी.सी. है तो उसके अद्यतन प्रमाण-पत्र की छायाप्रति

(नहीं) शून्य

7. अपनी शैक्षणिक योग्यता का विवरण स्कूल व कॉलेज
के नाम के साथ अंकित करें-

- मैट्रिक

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त सूचनाएँ मेरी जानकारी एवं विश्वास में सही और सत्य हैं।

स्थान- मुजफ्फरपुर

तिथि- 22/5/22

नारकटगढ़ परमप्राणी
अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

* जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

** वित्तीय संस्था/बैंक/सरकार/आयकर/वैल्थ टैक्स/प्रोपर्टी टैक्स/बिक्री कर संबंधी बकाया।

नोट :- सभी स्तम्भ निश्चित रूप से भरे जायें। जहाँ शून्य विवरण देना हो वहाँ "शून्य" अवश्य अंकित किया जाय।

स्तम्भ खाली छोड़ देने अथवा (X) चिह्न अंकित करने पर यह माना जायेगा कि अभ्यर्थी द्वारा सूचना छिपाने की चेष्टा की गई है और यह नामांकन पत्र रद्द करने का आधार बन सकता है।